न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म०प्र०

<u>दांडिक प्रकरण क—139 / 2010</u> <u>संस्थित दिनांक— 26.04.2010</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा	
आरक्षी केन्द्र चंदेरी	
जिला अशोकनगर।	अभियोजन

विरुद्ध

शहीद खा पुत्र तालेवर खां उम्र 54 साल निवासी तिकया मोहल्ला तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर (म०प्र०)

.....अभियुक्त

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 22.05.2018 को घोषित)</u>

- 01— अभियुक्त के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा 279, 304 (A), 337 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 20.03.2010 को समय 06:00 बजे स्थान फतेहाबाद में सार्वजनिक स्थान पर H.M.T. बस कमांक M.P. 08 D 2615 को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया व मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर उस पर बैठे कुंवरलाल की मृत्यु कारित की जो मानव वध की कोटि में नहीं आती है एवं आहत महीप सिंह को टक्कर मारकर उपहति कारित की।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.03.2010 को फरियादी महीप सिंह ग्राम कनावटा में मोटरसाईकिल से रिश्तेदारी में गया था कि शामं करीब 06:00 बजे ग्राम कनावटा से लौटकर आते समय फतेहाबाद तिराहे पर चंदेरी तरफ से H.M.T. बस कमांक M.P. 08 D 2615 का चालक बस को तेजी व लापरवाहीपूर्वक से चलाता आ रहा था। महीप सिंह की मोटरसाईकिल को कुंवरलाल चला रहा था और महीप सिंह पीछे बैठा था, उक्त बस को चालक ने तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी, जिससे कुंवरलाल की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई और महीप सिंह के सिर में बांये, कंधे में, चेहरे में एवं दोनों पैरों के टकनों में चोटें आईं। घटना के वक्त चौराहे पर कई लोग इकट्ठा हो गये थे, जिन्होने घटना देखी। फरियादी महीप सिंह द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध कमांक—88 / 2010 अंतर्गत धारा—279, 337, 304 (A) भा0द0वि0 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 03— अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

04- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- क्या अभियुक्त ने दिनांक 20.03.2010 को समय 06 बजे स्थान फतेहाबाद में सार्वजनिक स्थान पर H.M.T. बस कंमाक M.P. 08 D 2615 को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर H.M.T. बस क्रमांक M.P. 08 D 2615 से मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर कुवरलाल की मृत्यु कारित की जो मानव वध की कोटि में नही आती है ?
- क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर H.M.T. बस क्रमांक M.P. 08 D 2615 को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत माहिप सिंह को टक्कर मारकर उपहति कारित की ?
- दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

विचारणीय प्रश्न कमांक 01, 02, 03 व 04 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 05-सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पूर्नावृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का एक साथ किया जाकर निष्कर्ष दिया जा रहा है। अभियोजन की ओर से घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में मुख्य रूप से महीप सिह (अ०सा0-02), रूमाल सिंह (अ०सा0-05), रतन सिंह (अ०सा0-06) जसराम (अ०सा0-04) के कथन न्यायालय में कराये गये है। साक्षी महीप सिंह (अ०सा0–02) घटना में आहत होकर फरियादी भी है। जिसके द्वारा अभियोजन के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 घटना के बाद लेखबद्ध कराई गई।
- 06-फरियादी महीप सिंह (अ0सा0-02) घटना के संबंध में अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि करीब चार पांच साल पहले वह मोटरसाईकिल से मृतक कुवरलाल के साथ नंदनवारा जा रहा था, तो चंदेरी से आ रही बस से फतेहाबाद चौराहे पर उसका एक्सीडेन्ट हो गया था। महीप सिंह (अ०सा०–०२) के अनुसार मृतक कुवरलाल जो कि मोटरसाईकिल चला रहा था, उसकी एक्सीडेन्ट में मृत्यु हो गई थी तथा स्वयं के पैरों व कंधों में फ्रैक्चर हो गया था। रूमाल सिंह (अ०सा०-०५) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि मृतक कुवरलाल की एक्सीडेन्ट में मृत्यु हो गई थी तथा ध ाटना में महीप सिंह घायल हो गया था।

- 07—जसराम (अ०सा0—04) व रतन सिंह (अ०सा0—06) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में फरियादी की कथनों की पुष्टि करते हुये व्यक्त किया है कि मृतक कुवरलाल व महीप सिंह जब ग्राम कनावटा से नंदनवारा मोटरसाईकिल से जा रहे थे, तो फतेहाबाद तिराहे पर एक्सीडेन्ट हो गया था, जिसमें कुवरलाल की मृत्यु हो गई थी, तथा महीप सिंह (अ०सा0—02) को भी शरीर में कई जगह चोटें आई थी। अतः फरियादी महीप सिंह (अ०सा0—02) सिहत रूमाल सिंह (अ०सा0—05) व रतन सिंह (अ०सा0—06) एवं जसराम (अ०सा0—04) के द्वारा इस संबंध में एक राय होकर अभियोजन के समर्थन में कथन दिये है कि जब महीप सिंह (अ०सा0—02) कुवरलाल के साथ ग्राम कनावटा से नंदनवारा जा रहा था, तो फतेहाबाद चौराहे पर उनका एक्सीडेट हो गया था, जिसमें कुवरलाल की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी तथा महीप सिंह (अ०सा0—02) घटना में घायल हुआ था।
- 08—घटना में कुवरलाल की रोड एक्सीडेन्ट में मृत्यु हो गई थी, यह र्निविवादित है तथा कुवरलाल की उपरोक्त कारण से हुई मृत्यु की पुष्टि नक्शा पंचायत नामा प्रदर्श पी 08 व शफीना प्रदर्श पी 12 के साक्षी राजपाल (अ0सा0—07), देशराज (अ0सा0—08), दशराज (अ0सा0—10), राम सिंह (अ0सा0—11) ने भी अपने कथनों में की है। देशराज (अ0सा0—08), दशराज (अ0सा0—10), रामसिंह यादव (अ0सा0—11) जो कि नक्शा पंचायतनामा व शफीना के साक्षी है, ने अपने न्यायालीन कथनों में प्रदर्श पी 08 व प्रदर्श पी 12 पर अपने हस्ताक्षर होना, तो स्वीकार किये है, पर इन साक्षियों का कहना है कि उपरोक्त दस्तावेजों में क्या लिखा है, उन्हें इनकी जानकारी नही है।
- 09—देशराज (अ0सा0—08), दशराज (अ0सा0—10), राम सिंह (अ0सा0—11) को भले ही प्रदर्श पी 08 व प्रदर्श पी 12 की जानकारी न हो, परन्तु इन सभी साक्षियों ने अपने कथनों में यह स्पष्ट किया है कि एक्सीडेन्ट की सूचना मिलने के बाद जब अस्पताल पहुचे थे, तो वहां उन्होने मृतक का शव देखा था। राजपाल (अ0सा0—07) ने अपने न्यायालीन कथनो में इस बात की पुष्टि की है कि घटना के बाद अस्पताल में पंचनामा कार्यवाही हुई थी तथा उसने अस्पताल में शफीना फॉर्म प्रदर्श पी 12 व नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी 08 पर हस्ताक्षर करने की पुष्टि की है।
- 10—अतः शफीना फार्म प्रदर्श पी 12 व नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी 08 के उपरोक्त साक्षी राजपाल (अ0सा0—07) देशराज (अ0सा0—08) दशराज (अ0सा0—10) व रामसिंह यादव (अ0सा0—11) के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि भले ही अस्पताल में पुलिस के द्वारा मृतक कुवरलाल के संबंध में की गई पंचनामा कार्यवाही की उन्हें पूरी जानकारी नही है, परन्तु इन सभी साक्षियों ने एक राय होकर इस बात की पुंष्टि की है कि घटना के बाद जब वह चंदेरी अस्पताल पहुचे थे, तो उन्होने मृतक कुवरलाल की शव चंदेरी अस्पताल में देखा था, जिसकी मृत्यू एक्सीडेन्ट से हो गई थीं।
- 11—सहयक उपनिरीक्षक नरेन्द्र सिंह (अ०सा०—०६) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि दिनांक 21.03.10 को घटना दिनांक को ही फरियादी महीप सिंह (अ०सा०—०2) ने

थाने पर आकर फतेहाबाद तिराहे पर H.M.T. बस कमांक M.P. 08 D 2615 के चालक के द्वारा कुवर सिंह को टक्कर मारने एवं उक्त घटना में कुवर सिंह की मृत्यु होने के संबंध में सूचना दी गई थी, जिस पर से उसके द्वारा मर्ग कमांक—04 / 10 प्रदर्श पी 07 कायम कर उपरोक्त H.M.T. बस कमांक M.P. 08 D 2615 के चालक के विरूद्ध अपराध कमांक—88 / 10 अंतर्गत धारा—279, 337, 304 (A) भा.द.वि. के तहत् प्रदर्श पी 01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अस्पताल पहुंचकर नक्शा पंचायत नामा प्रदर्श पी 08 साक्षीगण के समक्ष तैयार किया था एवं मृत्यु के कारणों की जांच करने के लिये प्रदर्श पी 03 का मजरूम फार्म भरकर शव परीक्षण के लिये प्रदर्श पी 09 का आवेदन प्रस्तुत किया था, उपरोक्त दस्तावेजों पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है।

- 12—अभियोजन की ओर से डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0—03) के कथन अपने समर्थन में कराये गये है जिनके द्वारा मृतक कुवरलाल का पोस्टमार्टम व घटना में आहत महीप सिंह का घटना के बाद शारीरिक परीक्षण किया गया। डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0—03) ने अपने न्यायालीन कथनों में व्यक्त किया है कि आहत महीप सिंह (अ0सा0—02) के चिकित्सीय परीक्षण में उन्होने महीप सिंह के सिर में फटा हुआ घाव, सिर में बाये आंख की बौह पर व बाये टकने के जोड पर फटे हुये घाव की चोट पाई थी तथा बाये कंधे पर व दाहिने टकने के जोड पर नीलगू निशान के साथ बाये गाल पर व नाक पर एक छिला हुआ घाव की चोट पाई थी, जिसके संबंध में उनके द्वारा प्रदर्श पी 03 की रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना इस साक्षी ने स्वीकार किया है।
- 13—डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0—03) ने अपने न्यायलीन कथनों में मृतक कुवरलाल का दिनांक 20.03.10 को शाम 06 बजे पोस्टमार्टम के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी में शव प्राप्त होने की पुष्टि की है तथा इस साक्षी ने इस बात की पुष्टि की है कि दिनांक 21.03.10 को सुबह 09:30 बजे नरेन्द्र सिंह के द्वारा शव परीक्षण के लिये आवेदन देने पर उनके द्वारा मृतक कुवरलाल का शव परीक्षण और पोस्टमार्टम किया गया। डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0—03) के अनुसार मृतक कुवरलाल के ऑक्सीपिटल भाग पर एवं दाहिने कोल्हे के जोड पर स्थित फीमर हड्डी में अस्थि भंग कारित हुआ था तथा उसके नाक और कान से खून बह रहा था, मृतक के जांघ और घुटने दाहिनी कोहनी के पीछे छिले हुये घाव की चोट थी, जिसमें से सिर की चोट घातकी थी। डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0—03) के द्वारा मृतक की पी. एम. रिपोर्ट प्रदर्श पी 04 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये गये है।
- 14—डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ०सा0—03) ने अपने न्यायालीन कथनों में यह स्पष्ट अभिमत दिया है कि महीप सिंह (अ०सा0—02) व मृतक कुवरलाल को घटना में कारित हुई चोटें किसी भारी चलित वाहन से कारित हुई थी, जिसमें अत्यधिक रक्त स्त्राव व सदमा लगने के कारण कुवरलाल की मृत्यु हुई थीं। डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ०सा0—03) के द्वारा चिकित्सीय परीक्षण में महीप सिंह (अ०सा0—02) के शरीर पर पाई गई चोटें एवं शव

परीक्षण के दौरान मृतक कुवरलाल के शरीर पर पाई गई चोटों के संबंध में न्यायालय में दिये गये कथनों की पुष्टि उनके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 व 04 से होती है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण अभिलेख पर नहीं है।

- 15—बचाव पक्ष की ओर से भी डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0—03) के अपने न्यायालीन कथनों में मृतक कुवरलाल के शव परीक्षण के उपरांत बताये गये मृत्यु के कारण एवं महीप सिंह (अ0सा0—02) के शरीर पर पाई गई चोटों के संबंध में दिये गये कथनों को कोई विशेष चुनौती नही दी गई है, जिससे डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0—03) की साक्ष्य एवं तैयार किये गये प्रतिवेदन प्रदर्श पी 03 व 04 से यह प्रमाणित होता है कि घाटना दिनांक—20.03.2010 को जब डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0—03) के द्वारा फिरयादी महीप सिह (अ0सा0—02) का चिकित्सीय परीक्षण किया गया एवं दिनांक 21.03. 10 को जब मृतक का शव परीक्षण किया गया, तो डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0—03) के द्वारा न्यायालय में बताई गई चोटें मृतक व आहत के शरीर पर थी, जो किसी वाहन से रोड एक्सीडेन्ट में कारित हुई थी।
- 16—बचाव पक्ष की ओर से डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0—03) के प्रतिपरीक्षण में प्रतिरक्षा स्वरूप यह सुझाव दिया गया है कि मोटरसाईकिल तेजी से चलने से एवं उसके स्लिप हो जाने से वास्तव में महीप सिंह (अ0सा0—02) व मृतक कुवरलाल को चिकित्सीय परीक्षण में पाई गई चोटें आना संभव है, जिस पर डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0—03) ने सहमति दी है, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि फरियादी महीप सिंह (अ0सा0—02) भले ही पुलिस को कोई रिपोर्ट लेख न करना बताता हो, परन्तु इस साक्षी का तथा अन्य साक्षियों का स्पष्ट रूप से यह कहना है कि बस से एक्सीडेन्ट होने से महीप सिंह (अ0सा0—02) को घटना में चोट आई थी तथा मृतक कुवरलाल की मृत्यु कारित हुई थी। घटना के बाद यदि किसी व्यक्ति को स्वयं ही मोटरसाईकिल से गिरकर कोई उपहित कारित होती है तथा उसके साक्षी की मृत्यु हों जाती है, तो ऐसा व्यक्ति घटना के बाद बिना किसी कारण के झूठी सूचना थाने पर क्यों देगा। अतः बचाव पक्ष की प्रतिरक्षा का कोई आधार अभिलेख पर नहीं है।
- 17—अतः अभिलेख पर मौखिक एवं चिकित्सीय साक्ष्य से इस संबंध में कोई संशेय की स्थिति नही रह जाती है कि दिनांक 20.03.10 को शाम करीबन 06:00 बजे के आसपास महीप सिह (अ0सा0—02) व कुवरलाल जब मोटरसाईकिल से नंदनवारा जा रहे थे, तो फतेहाबाद चौराहे के पास किसी बस से एक्सीडेन्ट हो गया था और उस एक्सीडेन्ट में महीप सिंह (अ0सा0—02) को डॉक्टर एस. पी. सिद्धार्थ (अ0सा0—03) के बताये अनुसार चोटें आई थी, वहीं उक्त घटना में ही चोटें लगने से कुवरलाल की मृत्यु हो गई थी, अतः मुख्य रूप से अब यह देखा जाना है कि वास्तव में जिस बस से एक्सीडेन्ट हुआ था, उक्त बस प्रकरण में जप्तशुदा बस क्रमांक M.P. 08 D 2615 थी तथा उक्त बस को अभियुक्त के द्वारा वास्तव में उपेक्षा व लापरवाही से चलाकर घटना कारित की गई, अथवा नहीं।

- 18—इस संबंध में फिरयादी महीप सिंह (अ०सा०—02) जो कि स्वय घटना में आहत है, का अपने कथनों में यह कहना है कि जब वह कुवरलाल के साथ मोटरसाईकिल से नंदनवारा जा रहा था, तो फतेहाबाद चौराहे पर H.M.T. बस से उनका एक्सीडेन्ट हो गया था, जिसमें कुवरलाल की मृत्यु हो गई थी और उसके पैर व कंधे में फ्रैक्चर हो गया था। फिरयादी महीप सिंह (अ०सा०—02) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनो में कही भी इस बात का उल्लेख नही है कि घटना कारित करने वाली बस का नंबर क्या था तथा उसे कौन सा डाईवर चला रहा था, एवं वास्तव में दुर्घटना कारित करने वाली बस को डाईवर उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर घटना कारित की।
- 19—महीप सिंह (अ0सा0—02) का अपने मुख्य परीक्षण में ही कहना है कि उसके नंदेउ ने उसको यह बताया था कि H.M.T. बस से उसका एक्सीडेन्ट हुआ था, उसे स्वयं बस का नंबर इसलिए नहीं पता है कि क्योंकि वह बेहोश हो गया था। इस साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी कर उसका विस्तृत परीक्षण किया है, परन्तु इस साक्षी ने इस बात का स्पष्ट खण्डन किया है कि जिस बस ने एक्सीडेंट कारित किया थी, वह बस M.P. 08 D 2615 थी, परन्तु महीप सिंह (अ0सा0—02) का यह कहना भी है कि घटना कारित करने वाली बस H.M.T. बस थी, जो तेजी से आ रही थी। महीप सिंह (अ0सा0—02) ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—04 में यह स्पष्ट किया है कि जब उसे होश आया था तो जसराम (अ0सा0—04) ने उसे यह बताया था कि फतेहाबाद तिराहे पर एक्सीडेंट हुआ था तथा जसराम ने ही उसे यह भी बताया था कि जिस बस ने एक्सीडेन्ट किया है कि वह H.M.T. बस थी।
- 20—महीप सिंह (अ0सा0—02) का मात्र यह कहना है कि बस तेजी से चल रही थी, इस बात का निश्चायक प्रमाण नहीं है कि बस ही डाईवर के द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से चलाई जा रही थी। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—04 में महीप सिंह स्वयं यह नहीं बता सका कि बस की स्पीड कितनी थी तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—05 में उसका स्वयं यह कहना है कि उसे मोटरसाईकिल और बस की टक्कर की जानकारी जसराम ने दी थी, तथा वह नहीं बता सकता है कि मोटरसाईकिल बस में कैसे घुस गई थी। अतः महीप सिंह (अ0सा0—02) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि इस साक्षी को स्वयं जानकारी नहीं है कि घटना वास्तव में कैसे कारित हुई, तथा घटना कारित करने वाली बस कौन सी थी और किस स्थान पर एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि वह जगह न तो परिचित और एक्सीडेंट होने से बेहोश होने के कारण स्वयं बस को नहीं देखा पाया था, कि बस कैसे चल रही थी तथा उसे कौन चला रहा था।
- 21—महीप सिंह (अ0सा0—02) का अपने न्यायालीन कथनों में यह कहना है कि उसे बस के संबंध में व एक्सीडेन्ट कैसे हुआ इस संबंध में जानकारी जसराम (अ0सा0—04) के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार है। साक्षी जसराम (अ0सा0—04) के कथन अभियोजन ने अपने समर्थन में कराये है, जो कि अभियोजन कहानी के अनुसार घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होकर घटना के समय स्वयं अपने भाईं रतन सिंह (अ0सा0—01) के साथ

मोटरसाईकिल से अपने घरू काम से चंदेरी की ओर आ रहा था तथा अभियोजन के अनुसार इन दोनों ही साक्षियों के समक्ष घटना हुई थी। जसराम (अ०सा०–०4) ने अपने घटना स्थल पर घटना के समय अपनी उपस्थिति के संबंध में अभियोजन का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है। इस साक्षी के स्वयं के अनुसार जिस समय एक्सीडेंट हुआ था, उस समय वह ग्राम कनावटा में था तथा उसे फोन पर एक्सीडेन्ट की सूचना प्राप्त हुई थी।

- 22—जसराम (अ0सा0—04) ने अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि फरियादी महीप व मृतक कुवरलाल कथा के आयोजन में ग्राम कनावटा आये थे, परन्तु फतेहाबाद तिराहे पर बस से हुये एक्सीडेंट के संबंध में इस साक्षी का कहना है कि उस समय वह कनावटा में था तथा उसने सुना था कि H.M.T. बस से एक्सीडेंट हो गया है तथा वह घटना के दो घण्टे के बाद पहुचा था तथा इस साक्षी ने इस बात का स्पष्ट खण्डन किया है कि वह स्वयं घायल को अस्पताल पहुचा था। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—03 में इस साक्षी का यह कहना है कि वह ग्राम कनावटा से सीधा चंदेरी अस्पताल पहुचा था तथा उसके सामने कोई एक्सीडेंट नही हुआ। जसराम (अ0सा0—04) घटना ने अपने कथनों में ही यह स्पष्ट किया है कि उसने पुलिस को ऐसे कोई कथन नही दिये है कि जप्तशुदा बस को आरोपी तेजी व लापरवाही से चला रहा था तथा उसके द्वारा ही मोटरसाईकिल में टक्कर मारी गई थी।
- 23— अतः महीप सिंह (अ०सा०—02) जो कि H.M.T. बस के द्वारा घटना कारित होने की जानकारी जसराम (अ०सा०—04) के बताये अनुसार होना बताता है, वहीं जसराम (अ०सा०—04) ने अपने न्यायालीन कथनो में अभियोजन का समर्थन न करते हुये अपने सामने घटना घटित न होना बताया है तथा घटना के दो घण्टे के बाद वह स्वयं ग्राम कनावटा से चंदेरी अस्पताल पहुंचना बताता है। जसराम (अ०सा०—04) के स्वयं के कथन उसकी घटना स्थल पर उपस्थिति या घटना देखा जाना प्रमाणित नहीं करती है। घटना के अन्य साक्षी रूमाल सिंह (अ०सा०—05), जो कि भी जसराम (अ०सा०—04) व रतन (अ०सा०—01) के साथ अभियोजन कहानी के अनुसार मौके पर उपस्थित होकर घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था, अपने न्यायालीन कथनों में जसराम (अ०सा०—04) के कथनों के सामान अपने सामने कोई घटना घटित न होना बताता है।
- 24— रूमाल सिंह (अ०सा0—05) अपने न्यायालीन कथनों में यह कहता है कि घटना के समय वह गांव में था, उसे फोन पर घटना की सूचना मिली थी, जिसके बाद वह दूसरे दिन सुबह परिवार के साथ चंदेरी अस्पताल आया था। इस साक्षी का भी अपने न्यायालीन कथनों में यह स्पष्ट कहना है कि एक्सीडेन्ट कौन सी बस से हुआ बस को कौन चला रहा था तथा बस का नंबर क्या था उसे इसकी जानकारी नहीं है। अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी किये जाने के बाद भी साक्षी ने अभियोजन का इस बात पर लेशमात्र भी समर्थन नही किया है कि फतेहाबाद तिराहे पर घटना कारित करने वाली बस M.P. 08 D 2615 थी तथा उस बस को आरोपी ने उपेक्षा व लापरवाही से चलाकर मोटरसाईकिल में

टक्कर मारकर घटना कारित की। यह साक्षी अपने कथनों में इस बात भी अभियोजन का समर्थन नहीं करता है कि उसने घटना स्थल पर जाकर आहत व मृतक को उठाकर अस्पताल लेकर आया था।

- 25—घटना के अन्य साक्षी रतन सिंह (अ०सा०—०1) जो कि अभियोजन कहानी के अनुसार घ ाटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, एवं घटना के समय जसराम (अ०सा०—०4) के साथ मोटरसाईकिल से चंदेरी आ रहा था, के कथन भी अभियोजन ने अपने समर्थन में कराये है, परन्तु इस साक्षी के स्वयं के कथनों में घटना के संबंध में गंभीर विरोधाभास की स्थिति है। इस साक्षी का अपने मुख्य परीक्षण में ही यह कहना है कि उसने घटना की जानकारी नही है, परन्तु वह बाद में अपने न्यायालीन कथनों में घटना के संबंध में यह कहता है कि महीप सिंह (अ०सा०—०2) व कुवरलाल ग्राम कनावटा से मोटरसाईकिल से आ रहे थे, तो H.M.T. बस से फतेहाबाद तिराहे पर उनका एक्सीडेन्ट हो गया था।
- 26—रतन सिंह (अ0सा0—01) के अनुसार H.M.T. बस का नंबर उसे याद नहीं हैं तथा वह यह नहीं जानता है कि बस का डाईवर कौन था, परन्तु इस साक्षी का कहना है कि बस 50 किलोमीटर प्रति घण्टे की स्पीड से चल रही थी। रतन सिंह (अ0सा0—01) एक ओर घ ाटना की जानकारी होने से इन्कार करता है, वहीं दूसरी ओर यह कथन देता है कि H.M.T. बस जो कि 50 किलोमीटर प्रति घण्टे की स्पीड से चल रही थी, ने महीप सिह (अ0सा0—02) व कुवरलाल की मोटरसाईकिल में फतेहाबाद तिराहे पर टक्कर मारकर घ ाटना कारित की थी। इस साक्षी ने अपने कथनों में कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है कि घ ाटना स्थल पर वह कैसे उपस्थित था तथा उसे घटना की जानकारी किस प्रकार है। अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी घोषित किये जाने के बाद यह अभियोजन के द्वारा दिये गये सुझाव को स्वीकार करते हुये यह कहता है कि घटना कारित करने वाली बस H.M.T. बस थी, जिसे शहीद मुसलमान मुंगावली का तेजी व लापरवाही से चला रहा था और उसकी कुवरलाल की मोटरसाईकिल में टक्कर मारी थी, जिससे गिरने से कुवरलाल की मौके पर मृत्यु हो गई थी। इस साक्षी ने अपने कथनों में बस का नंबर M.P. 08 D 2615 बताया है।
- 27—अभियोजन की ओर से दिये गये उपरोक्त सुझाव पर सहमित दिये जाने के बाद यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में यह कहता है कि उसने घटना के समय बस का नंबर देखा था, परन्तु उसे नंबर याद नहीं है और न ही वह डाईवर को जानता है। सरकारी वकील साहब ने सुझाव दिया, तो उसने बस और डाईवर के बारे में हॉ कर दी थी। अतः इस साक्षी के स्वयं के अनुसार उसे स्वंय बस के नंबर व डाईवर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—04 में दिये गये कथन भी स्पष्ट करते है, जिसमें यह साक्षी स्वीकार करता है कि उसने डाईवर को नहीं देखा था, बस में सवार लोगों के मध्य बातचीत में चर्चा में उसका नाम सुना था।

28—रतन सिंह (अ0सा0—01) स्वयं को घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताते हुये घटना करने

वाले बस H.M.T. बस होकर उसे तेज चलना बताता है, परन्तु वहीं इस साक्षी का मुख्य परीक्षण में यह कहना है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है कि तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—06 में इस साक्षी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि वह घटना की जानकारी मिलने के एक घण्टे के बाद घटना स्थल पर पहुचा था अतः स्पष्ट है कि रतन सिंह (अ0सा0—01) के द्वारा घटना के संबंध में जो भी कथन न्यायालय में दिये है, वह अनुश्रुत साक्ष्य है तथा यह साक्षी जब सूचना मिलने के एक घण्टे के बाद घटना स्थल पर पहुंचा था तो निश्चित रूप से इस साक्षी ने घटना होते हुये नहीं देखी थी। अतः इस साक्षी का यह कहना है कि बस H.M.T. थी और तेजी से चल रही थी, अपने आप में अनुश्रुत साक्ष्य होकर अभियोजन घटना को साबित करने के लिये पर्याप्त नहीं है।

29-अभियोजन कहानी के अनुसार घटना में फरियादी महीप सिंह (अ०सा0-02) सहित घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में मात्र रतन सिंह (अ०सा0-01) रूमाल सिंह (अ०सा0-05) व जसराम (अ०सा0-05) के द्वारा मौके पर घटना देखी गई, परन्तू फरियादी महीप सिंह (अ०सा0-02) ने जहां अपने न्यायालीन कथनो में घटना कारित करने वाली बस एवं अभियुक्त के विरूद्ध कोई कथन न्यायालय में नही दिये है, वहीं जिस व्यक्ति जसराम (अ०सा0-04) के बताये अनुसार यह न्यायालय में घटना बता रहा है वहीं जसराम (अ०सा0-04) अपने न्यायालीन कथनों में घटना के समय कनावटा में होना बताता है तथा अपने सामने कोई घटना घटित न होना बताता है। इसी प्रकार घटना के अन्य साक्षी क्तमाल सिंह (अ0सा0-05) भी घटना के समय गांव में होना बताता है तथा सूचना मिलने के बाद दूसरे दिन चंदेरी अस्पताल पहुंचना बताता है, जिससे स्पष्ट है कि इस साक्षी ने भी घटना होते हुये नहीं देखी है। रतन सिंह (अ०सा0-01) ने स्वयं को घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताते हुये न्यायालय में कथन दिये है कि परन्तु घटना कारित करने वाली बस का नंबर क्या था, तथा उसे कौन चला रहा था, यह साक्षी अपने न्यायालीन कथनों में स्पष्ट नही कर सका। वहीं दूसरी ओर प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 06 में इस साक्षी का स्वयं यह स्वीकार करना कि वह घटना के एक घण्टे के बाद जानकारी मिलने पर घटना स्थल पर पहचा था, यह साबित करता है कि यह साक्षी भी घटना के समय ६ ाटना स्थल पर नही था तथा इस साक्षी के समक्ष भी कोई घटना घटित नही हुई।

30—घटना में मुख्य आहत महीप सिंह (अ०सा०—02) जहां घटना में बेहोश होने के कारण यह बताने की स्थिति में नही है कि किस बस किस चालक ने बस को किस प्रकार से चलाकर घटना कारित की थी, वहीं अभियोजन की ओर से घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में परीक्षण कराये गये साक्षी रूमाल सिंह (अ०सा०—05) रतन सिंह (अ०सा०—01) व जसराम (अ०सा०—04) घटना के समय घटना स्थल पर अपनी उपस्थिति नहीं बताते हैं तथा इन साक्षियों के कथनों के अनुसार इनके सामने कोई घटना ही घटित नहीं हुई तथा उन्हें घटना की जानकारी बाद में प्रापत हुई है। घटना वास्तव में अभियुक्त के द्वारा कारित की गई, इस संबंध में भी इन साक्षियों के द्वारा कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये गये।

- (10)
- 31—अतः अभिलेख पर इस आशय की कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नही है कि जिससे यह साबित हो कि महीप सिह (अ०सा०—02) व मृतक कुवरलाल की मोटरसाईकिल का जिस बस से एक्सीडेंट हुआ था, उक्त बस प्रकरण में जप्तशुदा बस M.P. 08 D 2615 थी, तथा उक्त बस को अभियुक्त ने उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर घटना कारित की। महीप सिंह (अ०सा0—02) सहित रतन सिंह (अ०सा0—01) H.M.T. बस के डाईवर के द्वारा तेज गित बस को चलाकर घटना कारित करना बताते है तथा जसराम (अ०सा0—04) घटना के बाद मौके पर पहुचने पर H.M.T. बस घटना स्थल पर खडी होना बताता है। वहीं राजपाल (अ०सा0—07) भी अपने कथनों में यह कहता है कि जब घटना स्थल पर पहुंचा था, तो बस वहां खडी थीं।
- 32—इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि जसराम (अ०सा०—०४) एक ओर घटना के दो घण्टे के बाद H.M.T. बस घटना स्थल पर खडी देखना बताता है, परन्तु यही साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—०३ में यह कहता है कि वह सीधा ग्राम कनावटा से चंदेरी अस्पताल पहुचा था। राजपाल (अ०सा०—०७) भी घटना स्थल पर पहुंचकर बस खडी देखन बताता है, परन्तु इस साक्षी ने पुलिस को कोई कथन न्यायालय में नही दिये। प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी नरेन्द्र सिंह (अ०सा०—०६) के द्वारा घटना स्थल से H.M.T. बस कमांक M.P. 08 D 2615 जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 11 के अनुसार साक्षियों के समक्ष जप्त करना बताया है, परन्तु जप्ती के साक्षी परमाल सिंह (अ०सा०—०९) व विजेंद्र सिंह (अ०सा०—०६) ने अपने न्यायालीन कथनों में जप्तीपत्रक प्रदर्श पी 11 पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार किये हैं, परन्तु घटना स्थल से बस की जप्ती उनके सामने हुई, इस बात से ही इन्कार किया है।
- 33—जहां तक महीप सिह (अ०सा0—02), रतन सिंह (अ०सा0—01) व राजपाल (अ०सा0—07) का यह कहना है कि घटना कारित करने वाली बस H.M.T. बस थी, जो तेजी से चल रही थी, तो इस संबंध में उपरोक्त विवेचन एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि इन साक्षियों के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन स्वयं की के द्वारा देखी गई घटना पर आधारित न होकर अनुश्रुत है, वही दूसरी ओर यदि तर्क के लिये इन साक्षियों के कथनों को मान भी लिया जावे, और घटना स्थल से दुर्घटना कारित करने वाली बस H.M.T. M.P. 08 D 2615 का जप्त होना प्रमाणित भी मान लिया जावे तब भी मात्र बस को तेज गित से चलना या घटना स्थल से बस की जप्ती इस बात का निश्चायक प्रमाण नहीं हो सकता है कि उक्त बस उपेक्षा व लापरवाही से चल रही थी, जिसके कारण घटना घटित हुई।
- 34—यह उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम तो अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि जप्तशुदा बस M.P. 08 D 2615 को घटना के समय अभियुक्त ही चला रहा था, तथा इस बस से घटना कारित हुईं और यदि यह मान भी लिया जावे कि इसी बस से एक्सीडेंट हुआ था, तो मात्र बडे वाहन से मोटरसाईकिल का एक्सीडेंट होना इस बात

(11)

का आधार नहीं हो सकता है कि बस ही उपेक्षा व उतावलेपन से चलाई जा रही है। अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि जो यह साबित करती हो कि किसी व्यक्ति ने अभियुक्त को प्रकरण में जप्तशुदा बस को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर घटना कारित करते हुये देखा था।

- 35—परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि दिनांक 20.03.10 को महीप सिंह (अ0सा0—02) व मृतक कुवरलाल जब ग्राम कनावटा से मोटरसाईकिल से चंदेरी की तरफ जा रहे थे, तो चंदेरी से आ रहे किसी वाहन से टक्कर होने से कुवरलाल की मौके पर मृत्यु हुई तथा महीप सिंह (अ0सा0—02) को भी घटना में चोटें आइ परन्तु साक्ष्य के अभाव में एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह साबित करने में सफल नहीं हुआ है कि अभियुक्त शहीद खां ने ही दिनांक 20.03.2010 को समय 06:00 बजे स्थान फतेहाबाद में सार्वजनिक स्थान पर H.M.T. बस कमांक— M.P. 08 D 2615 को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया और ऐसा करके मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर पीछे बैठे कुंवरलाल की मृत्यु कारित की, जो मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है एवं आहत महीप सिंह को टक्कर मारकर उपहित कारित की।
- 36—फलतः अभियुक्त शहीद खा पुत्र तालेवर खंग को भा.द.वि. की धारा 279, 337, 304 (A) के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त शहीद खा पुत्र तालेवर खंग को भा.द.वि. की धारा 279, 337, 304 (A) के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 37—अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति H.M.T. बस कमांक M.P. 08 D 2615 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी अरविन्द कुमार जैन की सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा वाद मियाद अपील भारमुक्त समक्षा जावेगा, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (12) <u>दांडिक प्रकरण क.—139/2010</u>